Form no. III

फर्द अहकाम

(नियम 226)

अज अदालत – अपर जिला न्यायाधीश, क्रम–1, अजमेर (राज.)

भागचंद बनाम अक्षय सिंह व अन्य

किस्म मुकदमा – दीवानी वाद नम्बर 27 सन् 2014

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
28-07-023	वकुलाय पक्षकारान् उपस्थित। इस आदेश के द्वारा प्रार्थी/प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना अंतर्गत धारा 35 भारतीय स्टाम्प एक्ट दिनांकित 28.02.2019 का निस्तारण किया जा रहा है। जिसका जवाब अप्रार्थी/वादी की ओर से प्रस्तुत किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी/प्रतिवादी के उक्त प्रार्थना-पत्र में मुख्यतः कथन किया गया है कि वादी द्वारा अपना पक्ष वर्तमान प्रकरण में प्रमाणित करने के लिए साक्ष्य हेतु प्रस्तुत शपथपत्र में प्रदर्श- 30 इकरारनामा वास्ते बेचान व कब्जा अन्तरण पर अंकित किया गया है व न्यायालय के समक्ष करवाये जा रहे मुख्य परिक्षण में भी इस दस्तावेज पर प्रदर्श अंकित करना चाह रहा है । उपरोक्त दस्तावेज इकरारनामा के तहत कथित रूप से सम्पत्ति का अन्तरण व कब्जा प्राप्ती स्पष्ट रूप से अभिलिखित की गई है, यह दस्तावेज अपूर्ण स्टापीत व अपंजिकृत है व अपूर्ण साक्ष्य लिये जाने योग्य नहीं है, ना ही इस पर प्रदर्श अंकित किया जा सकता है। अत: प्रदर्शित किये गये दस्तावेज प्रदर्श-30 इकरारनामें को अभिलेख पर से हटाये जाने का निवेदन किया गया। उक्त का विरोध अप्रार्थी/ वादी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश करते हुऐ मुख्यतः कथन किया गया है कि जो तथ्य जिस प्रकार प्रतिवादी के द्वारा लिखे गये हैं वह तथ्य उस प्रकार वर्णित अनुसार पूर्ण नहीं हैं इस संबंध में यह भी निवेदन है कि शपथ पत्र का एवं दस्तावेज का अवलोकन किया जाना न्यायसंगत है। दस्तावेज साक्ष्य में ग्रहण योग्य नहीं हो यह बिल्कुल गलत हैं। जो दस्तावेज है उसका भी अवलोकन किया जाना न्यायसंगत है। दस्तावेज के बाबत जो निवेदन जिस प्रकार प्रतिवादी ने किया है तो वह प्रतिवादी के द्वारा किया गया निवेदन वर्णित अनुसार गलत है। प्रार्थना पत्र केवल मात्र प्रकरण में देरी करने के उददेश्य से प्रस्तुत किया गया है। जो कि विशेष व्यय सहित निरस्त होने योग्य है। अतः प्रार्थना-पत्र विशेष व्यय सहित खारिज किया जावें। तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली व संबंधित विधि का अवलोकन किया गया।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज –2–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि वादी द्वारा जो साक्ष्य शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया है में प्रदर्श 30 इकरारनामा वास्ते बेचान व कब्जा अंतरण को न्यायालय के समक्ष करवाऐं जा रहे मुख्य परीक्षण में भी उक्त दस्तावेज को प्रदर्शित करवाना चाहते है जो दस्तावेज अपूर्ण स्टाम्पीत व अपंजीकृत है, जिससे उपरोक्त दस्तावेज विधिक रूप से शून्य दस्तावेज है, जिस पर प्रदर्श नहीं डाला जा सकता। प्रार्थी/प्रतिवादी के उक्त कथनों के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन करें तो जिस इकरारनामे के संबंध में हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, उक्त इकररनामा दिनांक 07 जून, 1997 का 100/- रू. के स्टाम्प पैपर पर है, साथ ही पत्रावली के अवलोकन से न्यायालय के समक्ष यह तथ्य भी आता है कि उक्त संपत्ति के संबंध में पत्रावली पर एक विक्रय-पत्र भी मौजूद है जो दिनांक 15-10-2008 का है, जो पूर्ण रूपसे स्टाम्पित एवं पंजीकृत दस्तावेज है। वकील वादी का यह कथन रहा है कि उक्त समस्त दस्तावेज एक ही संव्यवहार के तहत निष्पादित किये गये है, वे एक ही संपत्ति से संबंधित है। इस क्रम में राजस्थान स्टाम्प एक्ट, 1998 का अवलोकन किया जाऐं तो अधिनियम की धारा 5 में यह प्रावधान है कि "जहाँ किसी भी विक्रय, हि विलेखों के निक्षेप से संबंधित करार या कोई भी अन्य दस्तावेज या व्यवस्थापन के मामले में संव्यवहार को पूरा करने के लिए कई लिखतें प्रयोग में लायी जाती है, वहां केवल मूल लिखत ही अनुसूची में उसके लिए विहित शुल्क से प्रभार्य होगी।" उक्त दस्तावेज इकरारनामा वर्ष 1997 में निष्पादित किया गया था, जो 100/- रू. के स्टाम्प पर उक्त दस्तावेज निष्पादित किया गया है, वह तत्समय धारा- 5 स्टाम्प अधिनियम के तहत सही प्रकार से स्टाम्पित होना पाया जाता है एवं जिस संपत्ति के संबंध में वकील प्रतिवादी द्वारा आपत्ति ली गई है, उसके संदर्भ में पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 15.10.2008 निष्पादित किया जा चुका है, जो पर्याप्त स्टाम्प पर पंजीकृत है। ऐसी स्थिति में धारा 5 स्टाम्प अधिनियम के प्रकाश में प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र पोषणीय प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी/प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना अंतर्गत धारा 35 भारतीय स्टाम्प एक्ट उक्तानुसार अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी हेतु दि. ..... को पेश हों। अपर जिला न्यायाधीश, क्रम–1, अजमेर।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज –3–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए